फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलवर (राज.)

मैसर्स राजस्थान ग्लास हाउस बनाम कैलाश मीणा

फौजदारी मुंतकिली प्रार्थना पत्र संख्या 227/2026

दिनांक हुक्म	कार्यवाही मय आद्यहस्ताक्षर	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील हुए
10.04.2026	प्रार्थी/परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/परिवादी मैसर्स राजस्थान ग्लास हाउस की ओर से यह प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 448 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत कर परिवाद संख्या 23/572/2021 राजस्थान ग्लास हाउस बनाम कैलाश मीणा, अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, जो कि वर्तमान में न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण संख्या 02, अलवर में विचाराधीन है, को उक्त न्यायालय से से किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किय गया। प्रार्थी/परिवादी की ओर से मुख्य रूप से यह आपत्ति अपने प्रार्थनापत्र में जाहिर की गई है कि प्रार्थी/परिवादी द्वारा प्रकरण में एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत 143 ए परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चैक की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान, विचारण के दौरान जमा कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थनापत्र की बहस के दौरान पीठासीन अधिकारी काफी नाराज हो गये और परिवादी के पिताजी के खिलाफ चले रहे मुकदमे में उनको उपस्थित करने के लिए दबाव डाला। परिवादी द्वारा बार-बार यह निवेदन किया गया कि पिताजी अलग रहते हैं, फिर भी पीठासीन अधिकारी ने नहीं सुना और परिवादी के पिताजी को उपस्थित रखने के लिए दबाव डाला। इस आधार पर परिवादी का कथन है कि पीठासीन अधिकारी, परिवादी से नाराज हैं और ईर्ष्या रखते हैं। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/परिवादी का प्रार्थनापत्र दिनांक 21.11.2026 के द्वारा खारिज किया गया था, जिसमें यह माना गया कि परिवादी द्वारा कराये गये कार्य की मूल्यांकन रिपोर्ट पेश हुई है, उस रिपोर्ट में मूल्यांकन कुल 12,27,196/-रूपये अंकित है। उनका यह भी तर्क है कि संपूर्ण मामले के निस्तारण के संबंध में, उक्त आदेश में पीठासीन अधिकारी द्वारा मत व्यक्त किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थी/परिवादी से नाराज हैं और इस आधार पर प्रार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उनको न्याय की उम्मीद नहीं	

	है। अतः प्रकरण को अन्यत्र किसी न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी/परिवादी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थनापत्र पर संबंधित पीठासीन अधिकारी से टिप्पणी तलब की गई, जिसमें उन्होंने परिवादी के साथ दुर्व्यवहार करने के संबंध में आक्षेपों से इन्कार किया है। उनका यह भी कथन है कि उन्होंने केवल मात्र परिवादी को यह निर्देशित किया था कि उनके पिताजी का कोई अंतिम पता हो तो न्यायालय में अवगत करवायें। उनके द्वारा आदेश दिनांक 21.01.2026 में ऐसा कुछ मत व्यक्त नहीं किया गया है, जिससे परिवाद का निर्णय किया जाना ही प्रकट होता हो। तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया गया है एवं द्वेष भावना से कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/परिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। हम पाते हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा परिवादी के साथ द्वेषता रखना और उसके साथ दुर्व्यवहार करने के आक्षेपों से इन्कार किया है। हम यह भी पाते हैं कि जो आदेश विद्वान पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 21.01.2026 को पारित किया है, वह आदेश, यदि परिवादी के अधिकारों के विरूद्ध है, तो उसके संबंध में परिवादी/प्रार्थी उचित विधिक चाराजोही कर सकता है। हम यह नहीं पाते हैं कि उक्त आदेश दिनांक 21.01.2026 का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं किया गया हो, बल्कि दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार कर एवं दस्तावेजात के अवलोकन के पश्चात, न्यायालय ने अपने विवेक से आदेश पारित किया है, जिसको चुनौती दिये जाने का विधिक उपचार प्रार्थी/परिवादी के साथ मौजूद है। केवल मात्र यह आधार, कि प्रार्थी/परिवादी के विरूद्ध एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है, उक्त प्रकरण को किसी अन्यत्र न्यायालय में अंतरित करने का आधार नहीं हो सकता है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना, हम यह पाते हैं कि प्रार्थी/परिवादी के पक्ष में ऐसा कोई मामला प्रकट नहीं होता है, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी/परिवादी से द्वेष भावना रखी गई हो। परिणामस्वरूप प्रार्थी/परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को अविलंब प्रेषित की जावे। प्रार्थनापत्र फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफतर हो।	